

14-1-23

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकार
 में वकीलवादी कायम मुकाम प्रा.पत्र पेश करने
 का अवसर चाहते हैं। पूर्व में इन्हे अवसर इस
 निर्देश के साथ दिया गया था कि आईन्दा पेशी
 पर कायम मुकाम प्रा.पत्र पेश नहीं किया गया
 तो दावा आदेश 09 नि. 05 में खारिज कर दिया
 जावेगा किन्तु इस निर्देश के बावजूद भी कायम
 मुकाम प्रा.पत्र पेश नहीं किया जाने से वाद अ.
 धा. 88 R.T.A का आदेश 09 नि. 05 में खारिज
 किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नखर
 से कम हो

